

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-2  
संख्या-2197/सेक-2-पांच-18-1(3)/14  
लखनऊ :: दिनांक : 06 अगस्त, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 भाष्कर राय व 05 अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-42583/2015 डा0 भाष्कर राय व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य इस आशय से योजित की गयी कि 'आसन्न कनिष्ठ नियम' के अन्तर्गत कनिष्ठ के सापेक्ष प्रोन्नति एवं परिणामी लाभ प्रदान किया जाय। मामले की सुनवाई करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 31.07.2015 पारित किया गया, जो निम्नवत् है :-

Heard learned counsel for the parties.

Petitioners before this Court, who are six in number, contend that all those Medical Officer who were members of PMHS Cadre and had not been considered for promotion to Level IV for no fault of their are being considered by the State Government for promotion, only when an order is made by the writ Court, and not otherwise. Reference is made to the order dated 17.01.2015 enclosed as Annexure-1 to the present petition.

We find that similar nature of writ petitions are being filed before this Court.

We dispose of the present writ petition with a direction upon the State Government that all such similarly situate employees must be considered for promotion to Level IV at par with the officers who were junior to them and have since been promoted. There should not be any further litigation for the purposes of consideration for promotion. It must be uniformly applied for all similar situate. The application of the similarly situate candidates must be considered within four weeks from the date a certified copy of this order is filed before the respondent no. 1.

With the aforesaid directions, the present writ petition is disposed of.

2- मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में प्रादेशिक चिकित्सा संवे संवर्ग के 531 विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों को उनके कनिष्ठ सामान्य उपसंवर्ग के चिकित्साधिकारी डा0 रवि कुमार शर्मा (वरिष्ठता क्रमांक-9066) की संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति की तिथि 11.02.2008 से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में विचार किये जाने हेतु दिनांक 28.06.2017 को विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की गयी। 'श्रेष्ठता' मानदण्ड के आधार पर चयन समिति द्वारा पात्रता सूची में सम्मिलित 531 चिकित्साधिकारियों की तत्समय की गोपनीय प्रविष्टियों/सेवा अभिलेखों के आधार पर 364 विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों को उनके कनिष्ठ सामान्य उपसंवर्ग के उनके कनिष्ठ डा0 रवि कुमार शर्मा (वरिष्ठता 0-9066) की पदोन्नति की तिथि 11.02.2008 से लेवल-3 से लेवल-4 (संयुक्त निदेशक ग्रेड) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी, जिसके क्रम में शासन के कार्यालय-ज्ञाप सं0-3626/सेक-2-पांच-17-1(3)/14, दिनांक 06.09.2017 द्वारा आदेश निर्गत किया गया तथा कतिपय चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित होने के कारण उनकी संस्तुति बन्द लिफाफे में रखी गयी। पात्रता क्षेत्र में सम्मिलित कार्यरत/सेवानिवृत्त विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों में से डा0 योगेन्द्र यति (वरिष्ठता क्र0-7203) की संस्तुति विभागीय कार्यवाही प्रचलित होने के कारण बन्द लिफाफे में रखी गयी थी।

--2/...

3- डा0 योगेन्द्र यति (वरिष्ठता क०-7203) के विरुद्ध चिकित्सा अनु०-2 के कार्यालय-ज्ञाप सं०-3515/सेक-2-पांच-13-26(वि०स०)/13, दिनांक 07.10.2013 द्वारा उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही को कार्यालय-ज्ञाप सं०-564/सेक-2-पांच-13-26(वि०स०)/2013, दिनांक 13.07.2017 द्वारा बिना दण्ड के समाप्त कर दी गयी है।

4- उक्त के क्रम में डा0 योगेन्द्र यति की बन्द लिफाफे की संस्तुति खोली गयी, जिसमें डा0 यति के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में पूर्णतया निर्दोष पाये जाने पर चयन समिति द्वारा डा0 यति को उनके कनिष्ठ सामान्य उपसंवर्ग के चिकित्साधिकारी की लेवल-3 से लेवल-4 (संयुक्त निदेशक ग्रेड) के पद पर हुई पदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है।

5- अतः उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के डा0 योगेन्द्र यति (वरिष्ठता क०-7203), मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ को लेवल-3 (वेतनमान रू० 15,600-39,100 ग्रेड पे-7600) से लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू० 37,400-67,000 ग्रेड पे-8700) के पद पर उनके कनिष्ठ सामान्य उपसंवर्ग के चिकित्साधिकारी, डा0 रवि कुमार शर्मा (वरिष्ठता क०-9066) की पदोन्नति की तिथि 11.02.2008 से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,


वी० हेकाली झिमोमी,  
सचिव।

सं०-2197(1)/सेक-2-पाँच-18, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त प्रोन्नत चिकित्सक को कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु अपने स्तर से तत्काल निर्देश जारी करें।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से संबंधित चिकित्साधिकारी को परिचालित कराने एवं आदेश को विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
- 5- मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
- 7- संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०, लखनऊ।
- 8- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश सहित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

  
(जे०एल० यादव)  
अनु सचिव।